बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 36/2017

परीक्षा नियंत्रक के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु वाक–इन–इन्टरव्यू की सूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार शिक्षा सेवा/केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के Examination Board/ केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी उपक्रम से सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों के लिए ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में परीक्षा नियंत्रक के पदों पर अनुभवी अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक **21.06.2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न** से समिति मुख्यालय, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना–800017 में आयोजित वाक–इन–इन्टरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाता हैः–

पद का नाम	कुल रिक्ति एवं आरक्षण कोटि	वांछित अनुभव/अर्हता	मानदेय
परीक्षा नियंत्रक	02 (01 Gen, 01 EBC)	भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी, **अथवा** केन्द्र सरकार **अथवा** राज्य सरकार की परीक्षा समिति (Examination Board) के से सेवानिवृत पदाधिकारी	ये पद केवल सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए है । सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए मानदेय की गणना उनके अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होगी ।

2. उपर्युक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक प्रभाग), सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना–800017 में दिनांक **21.06.2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे से वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-interview)** होगा।
3. अभ्यर्थी **वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-interview)** में अपना बायो–डाटा/आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित हों।
4. अनुबंध की अवधि प्रथम बार 11 (ग्यारह) माह की होगी। तत्पश्चात् सेवा संतोषप्रद होने पर एवं आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जा सकता है ।
5. सेवानिवृत अभ्यर्थियों के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी ।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुभव, अर्हता एवं अन्य जानकारियाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विभागीय वेबसाइट *www.biharboard.ac.in* से प्राप्त की जा सकती है।
7. उपर्युक्त पद के लिए सामान्यतः कार्यालय आने–जाने के लिए वाहन की सुविधा दी जायेगी, किन्तु यह अनिवार्य नहीं है ।

सचिव

ज्ञापांक ——————————————/ पटना, दिनांक ———— जून, 2017

प्रतिलिपि : जन संपर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 11.06.2017 को राष्ट्रीय एवं बिहार संस्करण के मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे ।

सचिव